

**बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग**

Receiving date  
16/12/2021

पत्रांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-95/2019-4521

/पटना, दिनांक-03/11/21

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0  
विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)  
बिहार, पटना।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2021-22 में मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़क, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़क, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक अनुमोदन दी जाती है:-

| Sl.No | Name of Division | Block    | Name of Road                                                                                                                 | Length (In KM) | Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs) | Cost of 5-years Maintenance (in Lakhs) | Cost of Emergent Repair (10%) (in Lakhs) | Total Estimated Cost (in Lakhs) |
|-------|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| 1     | 2                | 3        | 4                                                                                                                            | 5              | 6                                                             | 7                                      | 8                                        | 9                               |
| 1     | Marhaura         | Marhaura | Saran Jila Antargat Madhaura Prakhand Ke Chapra To Masrah Mukhya Path Me Gaura Mandir Se Aura 52 Hote Huye Aghara Pokhra Tak | 1.710          | 106.79                                                        | 15.52                                  | 10.68                                    | 132.99                          |
| Total |                  |          |                                                                                                                              | 1.710          |                                                               |                                        |                                          | 132.99                          |

2. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल मढ़ौरा योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।

CE 3

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

पत्रांक— मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-33/2021 - 1847

/पटना, दिनांक-30/6/2021

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0

विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

बिहार, पटना।

विषय:— वित्तीय वर्ष 2021-22 में मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है:—

| Sl. No | Division | Block | Name of Scheme                              | Length (in km) | Revised Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs) | Revised Cost of 5-year Maintenance (in Lakhs) | Cost of Emergent Repair (10%) in Lakhs | Total Revised Estimated Cost (in Lakhs) |
|--------|----------|-------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1      | 2        | 3     | 4                                           | 5              | 6                                                                     | 7                                             | 8                                      | 9                                       |
| 1      | Chapra-2 | Ekma  | Ekma Kohargarh (Part-2) To Ekma Tezpur Road | 4.000          | 397.84                                                                | 34.47                                         | 39.78                                  | 472.09                                  |
| Total  |          |       |                                             |                |                                                                       |                                               |                                        | 472.09                                  |

2. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल छपरा-2 योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं ससंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

पत्रांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-91/2019 - 4773  
प्रेषक,

/पटना, दिनांक-30/11/2021

संजय दूबे, भा0प्र0र0  
विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)  
बिहार, पटना ।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़कें, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़कें, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवारं प्रशासनिक अनुमोदन दी जाती है:-

| Sl.No | Name of Division | Block  | Name of Road          | Length (In KM) | Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs) | Cost of 5-years Maintenance (in Lakhs) | Cost of Emergent Repair (10%) (in Lakhs) | Total Estimated Cost (In Lakhs) |
|-------|------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| 1     | 2                | 3      | 4                     | 5              | 6                                                             | 7                                      | 8                                        | 10                              |
| 1     | Gopalganj-1      | Katiya | Pachavman To Sarkarhi | 7.804          | 171.46                                                        | 84.600                                 | 17.15                                    | 273.21                          |
| Total |                  |        |                       | 7.804          |                                                               |                                        |                                          | 273.21                          |

2. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल गोपालगंज-1 योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।

CE3

Sec

RP  
16/12/21

29/11/2021

**बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग**

पत्रांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-93/2019 - 4860

/पटना, दिनांक-08/12/2021

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0  
विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)  
बिहार, पटना।

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2021-22 में मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़क, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़क, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक अनुमोदन दी जाती है:-

| Sl No        | Name of Division | Block    | Name of Road                | Length (In KM) | Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs) | Cost of 5-years Maintenance (in Lakhs) | Cost of Emergent Repair (10%) (in Lakhs) | Total Estimated Cost (In Lakhs) |
|--------------|------------------|----------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| 1            | 2                | 3        | 4                           | 5              | 6                                                             | 7                                      | 8                                        | 10                              |
| 1            | Hathua           | Bijaypur | Ganaga Chapra To Majhwaliya | 4.300          | 312.03                                                        | 54.76                                  | 31.20                                    | 397.99                          |
| 2            | Hathua           | Bijaypur | Piprahi Se Chhatiyawa       | 2.400          | 176.50                                                        | 31.26                                  | 17.65                                    | 225.41                          |
| <b>Total</b> |                  |          |                             | <b>6.700</b>   |                                                               |                                        |                                          | <b>623.40</b>                   |

2. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल हथुआ योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।